**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-2035**

**दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ**

**765 केवीए ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना हेतु मुआवजा**

**2035. श्री अमरा राम:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में 765 केवीए ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना के कारण किसानों की जमीन, पेड़, फल देने वाले पौधों, घर और ट्यूबवेल के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे मुआवजे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का महंगाई को देखते हुए मुआवजा राशि में बढ़ोत्तरी का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यह वृद्धि कब तक लागू कर दी जाएगी; और

(ङ) क्या यह मुआवजा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रदान किया जा रहा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**विद्युत राज्य मंत्री**
**(श्री श्रीपाद नाईक)**

**(क) से (घ) :** पारेषण संबंधी कार्य के निष्पादन के दौरान हुई किसी भी क्षति के लिए पारेषण सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा संबंधित राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जा रहा है।

विद्युत मंत्रालय ने अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) लाइनों को बिछाने से भूमि मूल्य में होने वाली कमी के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) मुआवजे के भुगतान के लिए दिशानिर्देश जारी

किए हैं। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, टावर बेस के लिए भूमि के बाजार मूल्य का 200% मुआवजा विनिर्दिष्ट किया गया है। आरओडब्ल्यू कॉरिडोर के लिए मुआवजा राशि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के बाजार मूल्य का 30%, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नगर निगमों और महानगरीय क्षेत्रों में भूमि के बाजार मूल्य का 60%, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों और अन्य सभी शहरी नियोजन क्षेत्रों के लिए भूमि के बाजार मूल्य का 45% के रूप में विनिर्दिष्ट की गई है। भूमि की बाजार दर का आकलन स्वतंत्र भूमि मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बाजार दर समिति (एमआरसी) द्वारा किया जाता है।

आरओडबल्यू मुआवजे की राशि एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है क्योंकि राज्य में आरओडबल्यू मुआवजे पर विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देशों को पूरी तरह से अपना सकते हैं या अपने स्वयं के संशोधित दिशानिर्देश जारी कर सकते हैं।

**(ङ) :** विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, पारेषण लाइन बिछाने के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है और जिस भूमि पर पारेषण लाइन गुजरती है, उस भूमि का स्वामित्व भूस्वामी के पास बना रहता है।

चूंकि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार, 2013 केवल निजी भूमि और परिसंपत्तियों के स्थायी अधिग्रहण के लिए है, इसलिए उक्त अधिनियम का प्रावधान पारेषण लाइनों को बिछाने पर लागू नहीं होता है।

**********